Title: Requested to give a compensation of Rs. Five lakhs to the wife of the famrer who was killed by a Sub-Inspector of Police Station at village Sagadpur in Madhya Pradesh and also to inquire into the incidence.

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश में पुलिस के द्वारा जो किसानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। पिछली दस जुलाई को ग्राम सगनपुर, जो कि जोरों विधान सभा के अंतर्गत आता है, वहां पर पुलिस के थानेदार ने पशु चराते हुए एक व्यक्ति की हत्या कर दी। यही नहीं, उसके पिता के खिलाफ, जो कि 73 साल के हैं, दफा 307 लगाकर असत्य मामला दायर कर दिया। इसके अलावा मृतक के 14 वींय पुत्र और उसके भाई के खिलाफ भी, जो खेत में हल जोत रहा था, असत्य मुकदमा दायर कर दिया। जबकि ये लोग मृतक के पास शोक प्रकट करने के लिए गए थे। उसका परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया है। उनके पास सिर्फ एक बीघा जमीन है। आज तक उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही वहां के एस.पी. के द्वारा दफा 307 जो उसके मृतक के परिवारवालों के खिलाफ लगाई गई है। उन्हें वापिस नहीं किया गया है। उसका परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है और कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों के साथ ऐसा अत्याचार पूर्व में भी किया गया है। मुलताई में भी इसी तरह 19 किसानों की गोली मार कर हत्या की गई थी। इस मामले में जो दोाी थानेदार है, उसको वहां का पुलिस अधीक्षक बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे अन्य मामलों में कोई व्यक्ति थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाता है और उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन एस. पी. मुरैना द्वारा घटना के प्रमुख अपराधियों पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई कराई जाए और मृतक वैजनाथ कुशवाह की पत्नी को मध्य प्रदेश सरकार से पांच लाख रुपया मुआवजा दिलाया जाए। उसके छः छोटे-छोटे बच्चे हैं इसलिए उस महिला को उनके पोाण के लिए शासकीय सेवा में रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : बिश्नोई जी, आपका नोटिस दस बजकर बीस मिनट पर मिला है, फिर भी मैं आपको एलाऊ करता हूं।